Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बूंदी में थानाधिकारी एवं पुलिस कानिस्टेबल 7 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *24 नवम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बारां इकाई द्वारा आज बुधवार को बूंदी में कार्यवाही करते हुये अंजना नोगिया पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी एवं सुरेश कुमार कानिस्टेबल, पुलिस थाना–महिला, जिला बूंदी को परिवादी से 7 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बारां इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध दर्ज प्रकरण में राजीनामा लिखवाने एवं मामले को रफा–दफा करने की एवज में अंजना नोगिया थानाधिकारी एवं सुरेश कुमार कानिस्टेबल, पुलिस थाना–महिला, जिला बूंदी द्वारा 10 हजार रुपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी बारां इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गोपाल सिंह कानावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री अनीस अहमद** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये **सुरेशचन्द्र** पुत्र श्री रामलाल जाट निवासी ग्राम रामगंज, थाना बनेठा, तहसील उनियारा, जिला टोंक हाल कानिस्टेबल, पुलिस थाना महिला थाना, बूंदी जिला बूंदी को परिवादी से **7 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना–महिला, जिला बूंदी **अंजना नोगिया पुलिस निरीक्षक** की संलिप्तता पाये जाने पर उसे भी गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी, जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।